कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: संशोधन आदेश :—

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाचार्य की वर्ष 2021—22 डीपीसी उपरांत 2105 कार्मिकों का चयन किया गया, जिनके चयन संबंधी विभागीय आदेश दिनांक 11.07.2022 द्वारा जारी किया गया है, जिसकी सूची विभागीय वेबसाईट पर तत्समय अपलोड की जा चुकी है। उक्त डीपीसी के सन्दर्भ में एस बी सिविल याचिका संख्या 9479/2022 में माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 11.07.2022 की अनुपालना में कुल चयनित कार्मिकों के 80 प्रतिशत कार्मिकों का पदोन्नति पद पर पदस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी किया जाना है, शेष 20 प्रतिशत के पदस्थापन की कार्यवाही को माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में फिलहाल रोका गया है।

उक्त पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के संबंध में पदस्थापन आदेश जारी किये जाने से पूर्व शाला दर्पण SDPMS (SHALA DARPAN POSTING MANAGEMENT SYSTEM) पर ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए समसंख्यक आदेश दिनांक 18.10.2022 के द्वारा कार्यक्रम/ कार्यवाही निर्धारित की गयी थी में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम एतद द्वारा जारी किया जाता है :—

क्रसं	दिनांक	विवरण
1	18-10-2022	विशिष्ट श्रेणी का अंकन किये जाने के उपरांत जारी वरियतानुसार सूची का प्रकाशन विभागीय वैबसाईट के माध्यम से।
2	19-10-2022	उक्त जारी वरियता सूची के संदर्भ में आपत्तियों का आमंत्रण। (विभागीय ई—मेल absecsecedu@gmail.comके माध्यम से)
3	20-10-2022	प्राप्त आपत्तियों के आधार पर संशोधन/परिवर्तन (यदि कोई हो तो)
4	21-10-2022	अंतिम रूप से वरियता सूची का प्रकाशन एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप रिक्तियों का प्रकाशन।
5	21-10-2022 से 30-10-2022 तक	वरियता सूची के उल्लेखित आशर्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन एवं ऑपशन लॉक किया जाना (दिनांक 30.10.22 मध्य रात्रि 12 बजे तक)
6	31-10-2022	आशर्थियों द्वारा लिये गये विकल्पों के आधार पर रिजल्ट/रिपोर्ट तैयार करना।
7	01-11-2022	तैयार रिजल्ट के आधार पर पदस्थापन संबंधी आदेश प्रारुप तैयार किया जाकर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत करना।

संलग्न :— SDPMS यूजर मैन्यूअल।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:: शिविरा/माध्य/संस्था/बी—1,2/डीपीसी/2021—22/व्या. से प्रधानाचार्य/2022 दि 27-10-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही/ पालनार्थ प्रेषित है :—

1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
5 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7 संबधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवा कर पालना से अवगत करावें ।
8 स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/ कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें ।
11 संबधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
12 संबधित अधिकारी
13 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Created By: Sign Doc